प्रेस नोट **जनपद रामपुर** **दिनांक 24-04-2021**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना टाण्डा:-ग्राम महुआखेड़ा में बच्चों को लेकर हुए दो पक्षों में मारपीट, गाली गलौच, पत्थर बाजी तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की घटना में वांछित चल रहा 01 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त की गयी 01 अद्द देशी रायफल के साथ गिरफ्तार- दिनांक 22-04-2021 को थाना टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम महुआखेड़ा में बच्चों में आपस में कहासुनी को लेकर प्रथम पक्ष के सलीम आदि 13 नामजद अभियुक्तगण अपने अन्य कुछ साथियों को साथ लेकर तथा द्वितीय पक्ष के कुर्बान आदि 13 नामजद अभियुक्तगण अपने कुछ साथियों को साथ लेकर नाजायज असलाहों से लैस होकर लाठी डण्डे लेकर, एक दूसरे को गाली गलौच करते हुए, ईंट पत्थर फेकते हुए, नाजायज असलाहों से जान से मारने की नियत से एक-दूसरे पर फायर करते हुए, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुॅचकर दोनों पक्षों को काफी समझाया परन्तु नहीं माने और दोनों पक्षों द्वारा एक राय होकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली गलौच आदि की गयी। इस सम्बंध में थाना टाण्डा पर मु0अ0सं0-88/2021 धारा 147,148,149,186,307,504,506,188,269,270,336,332,353 भादवि व 03 महामारी अधिनियम व 07 सी.एल. एक्ट बनाम सलीम आदि 26 नामजद व कुछ अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 24-04-2021 को थाना टाण्डा पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त इरफान पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम महुआखेड़ा थाना टाण्डा, रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गयी 01 अद्द देशी रायफल 12 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर मु0अ0सं0-90/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना टाण्डा :–ग्राम महुआखेड़ा में बच्चों को लेकर हुए दो पक्षों में मारपीट, गाली गलौच, पत्थर बाजी तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की घटना में वांछित चल रहा 01 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त की गयी 01 अद्द देशी रायफल के साथ गिरफ्तार।